

15/12/22

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर
पेशी में ली गई। वादी ने जरिये अधिवक्ता इस
आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वाद में
नकली की कमियां रह गई हैं। अतः वादी वाद को
निरस्त करवाकर नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने
की अनुमति चाहता है।

अतः वाद वादी जरिये विद्रो खारिज किया जाता
है, वादी नये सिरे से वाद प्रस्तुत कर सकता है।
वाद पत्रावली फसल शुमार होकर हस्त जाभा
द्वारेण दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/12/2022
को सुनाया गया।

4 ✓
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर